

प्राचार्य का कार्यालय, राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण
कार्यालय- आदेश

राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण के कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (Sexual Harassment) की शिकायत पर अनुशासनिक तथा प्रशासनिक कारवाई करने हेतु Internal Complain Committee (ICC) का गठन As per Section 4 Sexual Harassment of Women at Work place Act-2013 एवं AICTE Regulations-2016 के प्रावधानों के आलोक में निम्न प्रकार से किया जाता है: -

क्रम संख्या	पदाधिकारी/शिक्षक का नाम	समिति में स्थान
1.	सुश्री मोनिका सिंह व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य- सचिव
2.	डॉ० अभय कुमार गिरी व्याख्याता (अंग्रेजी), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य
3.	श्री चन्दन कुमार पटेल व्याख्याता (रसायनशास्त्र), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य
4.	सुश्री शिवानी कुमारी व्याख्याता (कंप्यूटर साइंस), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य
5.	श्रीमती माला देवी कार्यालय परिचारी, राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य
6.	सुश्री रोशनी कुमारी छात्रा (विधुत), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य
7.	सुश्री तेजस्वनी कुमारी छात्रा (इलेक्ट्रॉनिक्स), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य
8.	सुश्री कुमारी कोमल छात्रा (असैनिक), राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण	सदस्य

पोलिटेकनिक परिसर/कार्यस्थल पर महिलाओं से अभद्र-व्यवहार होने की शिकायत प्राप्त होने पर Sexual Harassment of Women at Work place Act-2013 एवं AICTE Regulations-2016 के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक तथा प्रशासनिक कारवाई की अनुशंसा करेंगी।

६०

प्राचार्य

Devo
२९-०१-२५ राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण

ज्ञापांक:- 68

दिनांक: 29-01-25

प्रतिलिप:- (1) उपरोक्त पदाधिकारीयो/शिक्षको/ छात्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(2) स्थापना लिपिक को रश्री सचिका में संधारण हेतु प्रेषित।

Devo
29/01/25

प्राचार्य

Devo
२९-०१-२५

राजकीय पोलिटेकनिक पश्चिमी चम्पारण